न्यायालय अति. जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ बिश्नोई, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी : 76 / 2018
RCMS No. 2018/00409

प्रार्थीः—	**बनाम**	**अप्रार्थीगणः—**
1 मोहनसिंह पुत्र मोहब्बतसिंह जाति राजपूत निवासी मुण्डारा तहसील बाली		1. दलपतसिंह पुत्र मोहब्बतसिंह जाति राजपूत निवासी मुण्डारा तहसील बाली 2. ग्राम पंचायत मुण्डारा तहसील बाली

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम

उपस्थिति –

श्री दौलत मकवाना, विद्वान अभिभाषक प्रार्थी
श्री लक्ष्मण के0 चौधरी, विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 1

—: निर्णय :—

दिनांकः— 18/1/2019

प्रार्थी ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत ग्राम पंचायत, मुण्डारा द्वारा मिसल संख्या 10 / 2016—17 में पारित आज्ञा संख्या 12 / 9 दिनांक 20.09.2016 एवं उसकी पालना में अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 88 दिनांक 30.09.2016 के विरूद्ध पेश की गई। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। ग्राम पंचायत का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा ग्राम पंचायत से मिलावट करते हुए जैर निगरानी पट्टा जारी करवाया गया है। ग्राम मुण्डारा में प्रार्थी का कब्जासुदा भूखण्ड आया हुआ स्थित है, जिसके चारो तरफ पत्थर की पट्टीयां खडी है। उक्त भूखण्ड की पूर्वी एवं पश्चिमी भुजाएं 10 फीट तथा उत्तरी एवं दक्षिणी भुजाऐं 20 फीट है। उक्त भूखण्ड पर अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अपना कब्जा होना बताते हुए ग्राम पंचायत के समक्ष पट्टा प्रदान कराने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर ग्राम पंचायत द्वारा विधि विरूद्ध रूप से जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किया। ग्राम पंचायत द्वारा जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी करने में राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के तहत जो प्रक्रिया प्रावधित है, उन प्रक्रियाओं का पालना ही नहीं किया। अप्रार्थी द्वारा जिस दिनांक को आवेदन पत्र प्रस्तुत किया, उस दिनांक को ही राशि जमा करवा दी, जबकि राशि जमा कराने का कोई आदेश ही नहीं था तथा उक्त दिनांक को तो मिसल कायम की गई थी। नियमानुसार तीन पंचों द्वारा मौका निरीक्षण किया जाता है, जबकि प्रकरण हाजा में जो पट्टा जारी किया गया है, उसमें मात्र दो पंचों द्वारा मौका निरीक्षण किया गया है। मौका निरीक्षण किए जाने के

अति० जिला कलक्टर, पाली

पश्चात आपत्ति इश्तिहार जारी किए जाने एवं अन्तिम विनिश्चय किए जाने के प्रावधान है, जबकि प्रकरण में न तो आपत्ति इश्तिहार जारी किया गया एवं न ही अन्तिम विनिश्चय किया गया। इस प्रकार सम्पूर्ण कार्यवाही विधि विरूद्ध रूप से सम्पादित करते हुए जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में पट्टा जारी किया गया है, जो विधि विरूद्ध है। अतः निगरानी स्वीकार करावें एवं जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टे को अपास्त करावें।

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 1 ने अपनी बहस में कथन किया कि जैर निगरानी विवादित आराजी पर अप्रार्थी संख्या 1 का पुराना कब्जा है। इस आधार पर अप्रार्थी संख्या 1 ने ग्राम पंचायत के समक्ष पट्टा जारी कराने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। इस पर ग्राम पंचायत द्वारा विधिवत प्रक्रिया अपनाते हुए जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी नहीं है। प्रार्थी एवं अप्रार्थी दोनों भाई है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा शुल्क भी अदा किया गया है। ग्राम पंचायत द्वारा यदि प्रक्रिया में कोई त्रुटी की हो, तो उसके लिए अप्रार्थी को दण्ड नहीं दिया जा सकता हैं। अतः निगरानी सारहीन होने से खारिज़ करावें।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। अप्रार्थी संख्या 1 ने ग्राम पंचायत मुण्डारा के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने कब्जासुदा भूमि को डी0एल0सी0 दर पर आवंटन कराने का निवेदन किया। इस पर सरपंच ग्राम पंचायत मुण्डारा द्वारा डी0एल0सी0 दर से राशि जमा कर वार्ड पंचों की मौका रिपोर्ट प्राप्त करने तथा सचिव को नक्शा तैयार करने के आदेश पारित किए। उक्त आदेश की पालना में ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव द्वारा नक्शा मौका तैयार किया तथा दो पंचो द्वारा मौका निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें पंचों ने डी0एल0सी0 दर पर भूमि विक्रय करने का निवेदन किया। इस पर जैर अपील आदेश के जरिये अप्रार्थी संख्या 1 को पट्टा जारी करने के आदेश पारित किए गए। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी का मुख्य यह आधार रहा कि प्रकरण में ग्राम पंचायत द्वारा दो वार्ड पंचों की रिपोर्ट के आधार पर ही निर्णय पारित किया गया है, जबकि तीन पंचों द्वारा मौका निरीक्षण किया जाना आज्ञापक है। इस सम्बन्ध में डी0एन0जे0 (राज) 1999 पेज 459 हेमराज व अन्य बनाम लक्ष्मीनारायण व अन्य में प्रतिपादित न्यायिक सिद्धान्त की प्रति प्रस्तुत की, जिसमें अभिनिर्धारित किया कि "न्यायालय के पीठासीन अधिकारी एवं न्यायालय के अधिकारीयों की त्रुटी के लिये पक्षकार पीड़ित नही होना चाहिये।" ग्राम पंचायत द्वारा कोरम में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित करते हुए पट्टा जारी करने के आदेश पारित किए गए है, मात्र तीन पंचों के स्थान पर दो पंचों द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करना ऐसी गंभीर त्रुटी नहीं है, जो जैर निगरानी आज्ञा को अपास्त करने का प्रबल आधार हो। तद्नुसार जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टे को अपास्त किया जाना न्यायोचित नहीं है।

परिणाम स्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका सारहीन एवं बलहीन होने से खारिज़ की जाती है तथा ग्राम पंचायत, मुण्डारा द्वारा मिसल संख्या 10/2016–17 में पारित आज्ञा संख्या 12/9 दिनांक 20.09.2016 एवं उसकी पालना में अप्रार्थी संख्या 1

अति॰ जिला कलेक्टर, पाली

के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 88 दिनांक 30.09.2016 की पुष्टि की जाती है। निर्णय की सत्य प्रतिलिपी के साथ ग्राम पंचायत का रेकर्ड लौटाया जावे।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति. जिला कलेक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 18/1/2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति. जिला कलेक्टर, पाली